

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-01/श्रम स्थानान्तरण-15/2026...../विभागीय अधिसूचना सं० 13 दिनांक 30.06.2026 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

(i) क्रमांक-02 के स्तंभ-05 में अंकित "श्रम अधीक्षक योजना-सह-बोर्ड, उप श्रमायुक्त कार्यालय, गयाजी के स्थान पर श्रम अधीक्षक पुनर्वास-सह-योजना, उप श्रमायुक्त कार्यालय, गयाजी" पढ़ा जाय।

(ii) क्रमांक-04 के स्तंभ-03 में अंकित "अतिरिक्त प्रभार- सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, मुंगेर" के स्थान पर "अतिरिक्त प्रभार- सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त कार्यालय, बेगुसराय" पढ़ा जाय।

(iii) क्रमांक-14 के स्तंभ-04 में अंकित "उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना" के स्थान पर "उप श्रमायुक्त (मुख्यालय), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना" पढ़ा जाय।

(iv) क्रमांक-27 के स्तंभ-02 में अंकित "श्री राजेश कुमार, गृह जिला- शिवहर" के स्थान पर "श्री राजेश कुमार, गृह जिला- समस्तीपुर" पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना सं० 13 दिनांक 30.06.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। शेष सभी कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सत्येन्द्र प्रसाद)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञाप सं०-01/श्रम स्थानान्तरण-15/2026.....15...../श्र०सं० पटना-01, दिनांक- 30/6/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन एवं अध्ययन संस्थान, पटना/सभी प्रमण्डल आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/बिहार श्रम सेवा (सामान्य एवं तकनीकी) के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।